**To Conduct Special Girdawari.**

\*56 SH. Kuldeep Vats, (Badli) M.L.A Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the compensation has been provided by the Government to the farmers after conducting special girdawari for the crops of Kharif and rabi of this year;

b) if so, the the extent of amount allocated per acre for the crops togetherwith the name of crops thereof; and

c) the village wise names of the farmers to whom the compensation has been provided togetherwith the amount released during the last 3 years in Badli Assembely Constituency?

 SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

a&b) Sir, In order to assess the damage to Kharif crops, 2022 on account of heavy rain/water logging at many places after 22 September, 2022 special girdawari was ordered to be conducted on 28.10.2022 and on 09.11.2022 (for Hisar district due to enforcement of Model Code of conduct). Reports of special girdawari from the districts through Divisional Commissioners are still awaited. Necessary action will be taken as per norms/instructions of the Government, on receipt of these reports.

 As per Government notification dated 30.07.2019, the Normal girdawari of Rabi crops, 2023 is going on in the state w.e.f. 1st February to 1st March. During this period, if any damage is found in the crops, it will be covered under normal girdawari. Now vide government letter dated 02.02.2023, all the Deputy Commissioners of the State have been requested to forward the report pertaining to crops damaged due to cold wave/frost and heavy rain/hailstorm to the Government in the rabi season of 2023 through concerned Divisional Commissioner as per norms/instructions.

c) As per report received from Deputy Commissioner Jhajjar, compensation for damaged crops in kharif 2021 has been provided to 8030 farmers of 40 villages in Badli Assembely Constituency. The village wise names of the farmers to whom the compensation has been provided togetherwith the amount released during the last 3 years in Badli Assembely Constituency is at Annexure-A.

 In addition to this, compensation for rabi crops 2022 amounting to Rs. 20,19,59,000/- has been sanctioned for district Jhajjar on 16.12.2022, which will be disbursed soon.

**Note for Pad \*56**

 Haryana is an agrarian State. More than 51% of the population of the State is dependent on agriculture. The Government is conscious of its responsibility to safeguard the interest of the farmers. Whenever the farmers suffer any loss due to damage to crops, it becomes the prime duty of the Government to compensate them to some extent.

 The Government provides immediate relief in terms of financial assistance to the victims of drought, earthquake, fire, flood, hailstorm, dust storm, electric sparking, lightening, cold wave/frost, heat wave, landslide, cloud burst and pest attack. As per Government of India norms, relief on account of damage to crops due to Drought, Earthquake, Flood, Hailstorm, Fire, Cold Wave/Frost, Landslide, Cloud Burst and Pest Attack is provided for the damage ranging from 33% to 100%; whereas the State Government norms of relief on account of damage to crops due to Floods, Fire, Electric Sparking, Heavy Rains, Hailstorm, Pest Attack and Dust storm are ranging between 25%to 100%. As such, whole expenditure for the damage between 25% to less then 33% is being met from the State Budget. Dust Storm, Electric Sparking, Lightening and Heat Wave are declared as Local Disaster by State Government vide its order dated 04.06.2019 and compensation is also being provided for the same. No relief is provided for the crop damage ranging less than 25%. The State Government compensation norms are higher as compared to Government of India norms. Now vide letter dated 28.1.2022, the compensation has been enhanced in case of crop damage due to natural calamities. The comparative table of State Government and Govt. of India norms are as under:-

|  |  |
| --- | --- |
| **Govt. of India Norms** | **Haryana State Norms** |
| **Drought, earthquake, flood, fire, hailstorm, cold wave/frost, landslide, cloud burst and pest attack** | **Flood/standing water, electric sparking, fire, heavy****rain, hailstorm, pest attack and dust storm** |
|  **Damage** | **Norms** | **Damage** | **Norms** |
| Wherecroploss is 33% and above | Rs. 8500/- per ha. i.e.Rs. 3441/- per acre in rainfed sown areas and Rs. 17000/- per ha. i.e. Rs. 6883/- per acre in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs. 1000 in rainfed areas or Rs. 2000 in assured irrigated areas and restricted to sown areas. | ≥ 25 to< 33 % | **Rs. 9000/- per acre**( Wheat, paddy, cotton and sugarcane)**Rs. 7000/- per acre** (Mustard and otherCrops) |
| ≥ 33 to< 50 % | **Rs. 9000/- per acre**( Wheat, paddy, cotton and sugarcane)**Rs. 7000/- per acre** (Mustard and otherCrops) |
| ≥ 50 to< 75 % | **Rs. 12000/- per acre**( Wheat, paddy, cotton and sugarcane )**Rs. 9000/- per acre** (Mustard and other Crops) |
| ≥75 and above | **Rs. 15000/- per acre**( Wheat, paddy, cotton and sugarcane )**Rs. 12500/-per acre** (Mustard and other crops. |
| **In case of drought, cold wave/frost, earthquake,****landslide and cloud burst** |
|  |  | Wherecrop loss is 33% and above | Rs. 7000/- per acre in assured irrigated areas and Rs. 3500/- per acre in rainfed areas. |
| Subject to minimum assistance not less than Rs. 500/- per shareholder and restricted to sown areas. |

**Relief provided for Natural Calamities on account of crop damage during last 10 years.**

The funds sanctioned on account of damage to crops due to different natural calamities during the year 2012-2013 to 2022-23 (31.01.2023) are as under:-

 (Amount in Crores )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Year** | **Drought** | **Flood/****Heavy rain** | **Hailstorm** | **Cold****wave/ frost** | **Pest attack** | **Fire** | **Grand Total** |
| **2012-13** | - | 8.78 | 0.54 | 37.21 | - | 0.36 | **46.89** |
| **2013-14** | 11.98 | 82.85 | 85.02 |  | - | 0.76 | **180.61** |
| **2014-15** | 123.38 | - | - |  | 18.40 | 0.29 | **142.07** |
| **2015-16** | 1.08 | 21.96 | 1207.73 |  | 976.03 | 0.46 | **2207.26** |
| **2016 -17** | 17.85 | 0.11 | 25.38 |  | 28.45 | 0.17 | **71.96** |
| **2017-18** | 2.00 | 5.46 | 69.42 | - | 12.60 | 0.20 | **89.68** |
| **2018-19** |  | 164.74 | 16.97 |  | - | 2.83 | **184.54** |
| **2019-20** | - | 39.90 | 26.94 |  | - | 3.27 | **70.11** |
| **2020-21** |  | 15.58 | I 15.18 | - | - | 1.18 | **131.94** |
| **2021-22** |  | 626.91 | 11.58 | - | - | 0.50 | **638.99** |
| **2022-23****Till date** |  | 163.83 | 58.48 |  | 269.77 | 1.97 | **494.05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**To Conduct Special Girdawari**

a&b) Sir, In order to assess the damage to Kharif crops, 2022 on account of heavy rain/water logging at many places after 22 September, 2022 special girdawari was ordered to be conducted on 28.10.2022 and on 09.11.2022 (for Hisar district due to enforcement of Model Code of conduct). Reports of special girdawari from the districts through Divisional Commissioners are still awaited. Necessary action will be taken as per norms/instructions of the Government, on receipt of these reports.

 As per Government notification dated 30.07.2019, the Normal girdawari of Rabi crops, 2023 is going on in the state w.e.f. 1st February to 1st March. During this period, if any damage is found in the crops, it will be covered under normal girdawari. Now vide government letter dated 02.02.2023, all the Deputy Commissioners of the State have been requested to forward the report pertaining to crops damaged due to cold wave/frost and heavy rain/hailstorm to the Government in the rabi season of 2023 through concerned Divisional Commissioner as per norms/instructions.

c) As per report received from Deputy Commissioner Jhajjar, compensation for damaged crops in kharif 2021 has been provided to 8030 farmers of 40 villages in Badli Assembely Constituency. The village wise names of the farmers to whom the compensation has been provided togetherwith the amount released during the last 3 years in Badli Assembely Constituency is at Annexure-A.

 In addition to this, compensation for rabi crops 2022 amounting to
Rs. 20,19,59,000/- has been sanctioned for district Jhajjar on 16.12.2022, which will be disbursed soon.

विशेष गिरदावरी करवाने के लिए ।

\*56 श्री कुलदीप वत्स, (बादली), एम.एल.ए.- क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः-

क) क्या यह तथ्य है कि इस वर्ष खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए विशेष गिरदावरी करवाने के प श्चात किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया गया है;

ख) यदि हां, तो फसलों के लिए प्रति एकड़ कितनी राशि आबंटित की गई तथा उन फसलों के नाम क्या है; तथा

ग) किसानों के ग्रामवार नाम क्या है **जिन्हें** मुआवजा प्रदान किया गया है तथा बादली विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र में गत **तीन** वर्षों के दौरान कितनी राशि जारी की गई?

श्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा

**क व ख) श्रीमान जी, दिनांक** 22 **सितम्बर,** 2022 **के बाद कई जगहों पर हुई भारी वर्षा/जलभराव के कारण खरीफ फसल,** 2022 **में हुए नुकसान के आंकलन हेतू सरकार के पत्र दिनांक 28.10.2022** **और 09**.11.2022 **(जिला हिसार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण) को विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गये थे। जिलों से मण्डलीय आयुक्तों के माध्यम से विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार के नार्मज/हिदायतों अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी।**

सरकार की अधिसूचना दिनांक **30.07.2019** अनुसार प्रदेश में
1 फरवरी से 1 मार्च रबी फसल **2023** की सामान्य गिरदावरी चल रही है। इस अवधि में यदि रबी फसलों में कोई नुकसान पाया जाता है तो उसे सामान्य गिरदावरी के तहत कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार के पत्र दिनांक **02.02.2023** द्वारा प्रदेश के सभी उपायुक्तों से अनुरोध किया गया है कि **2023** के रबी मौसम में शीत लहर/पाला एवं भारी वर्षा/ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की रिपोर्ट संबंधित मंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार के नार्मज/हिदायत अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करें।

ग) उपायुक्त झज्जर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार बादली विधानसभा क्षेत्र के 40 गांवों के 8030 किसानों को खरीफ 2021 में खराब हुई फसल का मुआवजा प्रदान किया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान बादली विधानसभा क्षेत्र में प्रदान की गई मुआवजा राशि का गांववार व किसानो के नाम का ब्यौरा अनुलग्नक ”ए“ पर रखा है।

इसके अतिरिक्त रबी फसल 2022 में हुये नुकासन हेतु सरकार के पत्र दिनांक 16.12.2022 द्वारा जिला झज्जर को मु. 20,19,59,000/- रूपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है, जिसका शीघ्र ही वितरण कर दिया जायेगा।

**पैड के लिए नोट \*56**

 हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की 51 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेवारी के प्रति सदैव तत्पर है। जब कभी भी किसानों की फसलों का कोई नुकसान होता है तो सरकार का कर्तव्य है कि उनके नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो पाए।

 सरकार द्वारा सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी, शार्ट सर्किट, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, बिजली, शीत लहर/पाला, लू, भूस्खलन, बादल फटना तथा कीट हमले इत्यादि से प्रभावित हुए किसानों को शीघ्र वित्तीय सहायता के रूप में राहत प्रदान की जाती है। भारत सरकार के मानदण्डों अनुसार सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, आग, शीत लहर/पाला, भूस्खलन, बादल फटना और कीट हमले प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में 33 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान किया जाता है जबकि राज्य सरकार के राहत मानदण्डों अनुसार बाढ, आग, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, भारी बारिश, ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में हुए नुकसान की सीमा 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक है। इस प्रकार 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत से कम तक होने वाले खराबे के लिए सारा खर्चा राज्य सरकार के बजट से वहन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा नार्मज दिनांक दिनांक 24.05.2022 द्वारा धूल भरी आंधी, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, बिजली तथा लू को स्थानीय आपदा घोषित किया गया है ओर इनके कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा भी प्रदान किया जा रहा है। 25 प्रतिशत से कम होने वाले फसलों के खराबे का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता। राज्य सरकार के मुआवजा नार्मज भारत सरकार के नार्मज के मुकाबले अधिक हैं। राज्य सरकार तथा भारत सरकार के नार्मज की तुलनात्मक तालिका निम्न अनुसार हैः-

|  |  |
| --- | --- |
| भारत सरकार के नार्मज  | हरियाणा राज्य के नार्मज  |
| सूखा] भूकम्प] बाढ़] आग] ओलावृष्टि] शीत लहर/पाला] भूस्खलन] बादल फटना] चक्रवात] सुनामी] हिमस्खलन और कीट हमले | बाढ़/जलभराव] बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग] आग] भारी बारिश] ओलावृष्टि] कीट हमले तथा धूल भरी आंधी |
| खराबा | नार्मज  | खराबा | नार्मज |
| जहां फसल खराबा 33 प्रतिशत या इससे अधिक हो | 8500/- रूपये प्रति हैक्टेयर जो कि3441/-रूपये प्रति एकड बीजा हुआ असिंचित क्षेत्र और 17000/-रूपये प्रति हैक्टेयर जो कि6883/- रूपये प्रति एकड बीजा हुआ सिंचित क्षेत्र] न्यूनतम सहायता कम से कम 1000/- रूपये असिंचित क्षेत्र और 2000/- रूपये सिंचित क्षेत्र और बोए गए क्षेत्र तक सीमित | ≥ 25 से < 33 तक | 9000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू] धान] कपास और गन्ना)7000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें) |
| ≥ 33 से < 50 तक | 9000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू] धान] कपास और गन्ना)7000/-रूपये प्रति एकड़ ( सरसों और अन्य फसलें) |
| ≥ 50 से < 75 तक | 12000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू] धान] कपास और गन्ना)9000/-रूपये प्रति एकड़ ( सरसों और अन्य फसलें) |
| ≥ 75 से अधिक | 15000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू] धान] कपास और गन्ना)12500/-रूपये प्रति एकड़ ( सरसों और अन्य फसलें) |
| सूखा] शीत लहर/पाला] भूकम्प] भूस्खलन] बादल फटना के केस में |
| खराबा | नार्मज |
| जहां फसल खराबा 33 प्रतिशत या इससे अधिक हो | 7000/- रूपये प्रति एकड बीजा हुआ सिंचित क्षेत्र और 3500/- रूपये प्रति एकड असिंचित क्षेत्र  |
| प्रत्येक हिस्सेदार को कम से कम 500/- रूपये की सहायता तथा बोये गए क्षेत्र की शर्तो अनुसार |

 पिछले 10 वर्षो के दौरान फसल क्षति के कारण प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रदान की गई राहत

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | सूखा | बाढ/ भारी वर्षा | ओलावृष्टि | शीत लहर/ पाला | कीट हमले | आग | कुल योग |
| 2012-13 | - | 8.78 | 0.54 | 37.21 | - | 0.36 | 46.89 |
| 2013-14 | 11.98 | 82.85 | 85.02 | - | - | 0.76 | 180.61 |
| 2014-15 | 123.38 | - | - | - | 18.40 | 0.29 | 142.07 |
| 2015-16 | 1.08 | 21.96 | 1207.73 | - | 976.03 | 0.46 | 2207.26 |
| 2016-17 | 17.85 | 0.11 | 25.38 | - | 28.45 | 0.17 | 71.96 |
| 2017-18 | 2.00 | 5.46 | 69.42 | - | 12.60 | 0.20 | 89.68 |
| 2018-19 | - | 164.74 | 16.97 | - | - | 2.83 | 184.54 |
| 2019-20 | - | 39.90 | 26.94 | - | - | 3.27 | 70.11 |
| 2020-21 | - | 15.58 | 115.18 | - | - | 1.18 | 131.54 |
| 2021-22 | - | 626.91 | 11.58 | - | - | 0.50 | 638.99 |
| 2021-23 अब तक | - | 163.83 | 58.48 |  | 269.77 | 1.97 | 494.05 |

विशेष गिरदावरी करवाने के लिए।

**क व ख) श्रीमान जी, दिनांक** 22 **सितम्बर,** 2022 **के बाद कई जगहों पर हुई भारी वर्षा/जलभराव के कारण खरीफ फसल,** 2022 **में हुए नुकसान के आंकलन हेतू सरकार के पत्र दिनांक 28.10.2022** **और 09**.11.2022 **(जिला हिसार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण) को विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गये थे। जिलों से मण्डलीय आयुक्तों के माध्यम से विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट अभी अपेक्षित हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार के नार्मज/हिदायतों अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी।**

सरकार की अधिसूचना दिनांक **30.07.2019** अनुसार प्रदेश में 1 फरवरी से 1 मार्च रबी फसल **2023** की सामान्य गिरदावरी चल रही है। इस अवधि में यदि रबी फसलों में कोई नुकसान पाया जाता है तो उसे सामान्य गिरदावरी के तहत कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार के पत्र दिनांक **02.02.2023** द्वारा प्रदेश के सभी उपायुक्तों से अनुरोध किया गया है कि **2023** के रबी मौसम में शीत लहर/पाला एवं भारी वर्षा/ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की रिपोर्ट संबंधित मंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार के नार्मज/हिदायत अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करें।

ग) उपायुक्त झज्जर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार बादली विधानसभा क्षेत्र के 40 गांवों के 8030 किसानों को खरीफ 2021 में खराब हुई फसल का मुआवजा प्रदान किया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान बादली विधानसभा क्षेत्र में प्रदान की गई मुआवजा राशि का गांववार व किसानो के नाम का ब्यौरा अनुलग्नक ”ए“ पर रखा है।

इसके अतिरिक्त रबी फसल 2022 में हुये नुकासन हेतु सरकार के पत्र दिनांक 16.12.2022 द्वारा जिला झज्जर को मु. 20,19,59,000/- रूपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है, जिसका शीघ्र ही वितरण कर दिया जायेगा।